मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31/12/2019

क्र. एफ 16-37/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि एवगॉल नॉन वूवेन ग्रुप द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रीयल पार्क पीथमपुर, जिला धार में रू. 1070.15 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से दो चरणों में नॉन वूवन फेब्रिक्स इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2019) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, शर्तो के अध्याधीन। अन्य गणक का लाभ पात्रता अनुसार प्राप्त होगी।
2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के रिटेल टैरिफ आदेशानुसार।
3. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2019) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।
4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना के प्रथम चरण में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया जावे।
5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजौरा) 31/12/19

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-37/2019/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला रायसेन।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, एवगोल इण्डिया प्रा. लि., प्लाट न. 184 तथा आंशिक प्लाट क्र. 183 एवं 185, सेक्टर - ए, मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र, जिला - रायसेन, भोपाल - 462046।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव 31/12/19

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग